

- 1-पुत्र-संव्याजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक,
- 2-पुत्री-संव्याजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।
- 3-पुत्र जो मानसिक या शारीरिक ख्याती निःशक्तता से ग्रस्त हो-जीवन पथन।
- 4-तलाकशुदा/पति से परित्याजित/विधवा आश्रित पुत्रिया और अविवाहित/तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहने-जीवन पथन।
- 5-अवधक माई-बचकला प्राप्त करने तक।

अन्य उपरोक्तानुसार आश्रितों को भी उपचार की भी सुविधा प्राप्त होगी।

आयु सीमा निम्नवत होगी:-

- 2- उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या: 474/पां-6-14-1082/87टीसी, दिनांक 04-03-2014, उत्तर प्रदेश सरकार (विकल्पा परिवर्ती) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 के अनुसार परिवार का तात्पर्य सेवा के सदस्य का यथा स्थिति, पति या पत्नी और माता-पिता, बच्चे, सातले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त बहने, अवधक माई और सातली माता से है, जो संव्याजित संवक पर पूर्णतः आश्रित है समान्यतया संव्याजित कर्मी के साथ निवास कर रहे है। किसी परिवार के ऐसे सदस्य, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय कर्मी से आय रु 3500/- और रु 3500/- प्रतिमाह की मूल वेतन पर अनुमान्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जाएगा। आश्रितों के लिये

अन्तगत भर्ती कराकर कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के सभी संव्याजित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को एसपीओजीआई लखनऊ में सेवारत पुलिस कर्मियों की भाँति मुफ्त (कैशलेस) को सुविधा प्रदान की गयी है। संव्याजित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को एसपीओजीआई लखनऊ में सेवारत पुलिस कर्मियों की भाँति मुफ्त (कैशलेस) को सुविधा प्रदान की गयी है। समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष अपने अपने कार्यालय में एक रजिस्टर तैयार कर इस पत्र से संलग्न निर्धारित प्रारूप में उपचार हेतु भेजें जाने वाले संव्याजित कर्मी की सूचना आंकल कार्यालय नोडल अधिकारी, एसपीओजीआई लखनऊ को अभिसारित करने का कष्ट करे, नोडल अधिकारी द्वारा कर्मी का उपचार एसपीओजीआई लखनऊ में कैशलेस सुविधा के अन्तगत भर्ती कराकर कराया जाएगा।

विषय: उत्तर प्रदेश पुलिस बल के संव्याजित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को एसपीओजीआई लखनऊ में सेवारत पुलिस कर्मियों की भाँति मुफ्त (कैशलेस) सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।
 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
 उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
 संख्या लैडस-(कैशलेस)/विकल्पा निर्देश-2014
 दिनांक मई 28, 2014



प्रतिलिपि:

- 1- वरिष्ठ लेखाधिकारी (एच), राज्य गांधी स्मारकालय आर्थिक विज्ञान संस्थान लखनऊ को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- अपर पुलिस अधीक्षक, पीएचएस, कैम्प कार्यालय पुलिस लाइन लखनऊ को सूचनाएं।
- 3- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पेशान कल्याण संस्थान, कमरा नंबर-419, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग लखनऊ-226001 को उनके पत्र संख्या पीपीकेएस - कै0 दि0/2012/4725, दिनांक 07-09-2013 के क्रम में सूचनाएं प्रेषित।

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

(ला0 सं0 के0मा0)
 28/5/14
 Smt

संलग्नक: प्राकृत

- 4- कृपया अपने अपने जनपदों पुलिस पेशानों की गोष्ठी/बीक कर भली भांति अगता कराते हुए उक्त सूचिका के नाम से अगता करा दिया जाय।
- 3- संशोधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से कोषागार को संशोधित, जहाँ से वह पेशान प्राप्त कर रहे हैं, इस आशय का प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि एम0पी0जी0आइ0 लखनऊ में उनके या उनके आशियों के उपचार पर व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान विकल्पा प्रतिलिपि की धनराशि से कोषागार द्वारा पुलिस मुख्यालय की जीवन रक्षक निधि में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा इलाहाबाद के खाता संख्या 11075922245 आई0एस0एफ0सी0 कोड-0000006 में आर0टी0जी0एस0 द्वारा भेज दिया जाय।

पुलिस कर्मियों/प्रेषनर का हस्ताक्षर व पता
 मोबाइल नम्बर सहित
 मोबाइल नम्बर-

यह घोषणा करता/करती हूँ कि एस.जी.पी.जी.आई. में कैशलेस शिक्षा के अन्तर्गत
 करतू गये उपचार में व्यय धनराशि की विलिप्ता प्रतिएति से स्वीकृत धनराशि को "वीवन रक्षक निधि, पुलिस
 मुख्यालय, इलाहाबाद" के खाता संख्या:11075922245 में जमा कर दिया जाये।

घोषणा पत्र (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

अधिकृत राजपत्रित अधिकारी,
 कयालय/रक्षक का नाम, पदनाम
 सहित समूह हस्ताक्षर
 मोबाइल नम्बर-

- (1) पुलिस कर्मियों/प्रेषनर का नाम
- (2) रोगी का नाम(स्वयं/आश्रित).....
- (3) पुलिस कर्मियों/प्रेषनर से संबंध
- (4) पुलिस कर्मियों/प्रेषनर की जन्मतिथि
- (5) बीमारी का विवरण
- (6) पद/सेवानिवृत्ति का पद
- (7) वर्तमान/सेवानिवृत्ति के जनपद/डकार्ड का नाम
- (8) वेतन/प्रेषन प्राप्त कर रहे कोषागार का नाम/जनपद
- (9) पीएनओ/कोषागार इन्डेक्स नम्बर
- (10) प्रतिमाह वेतन/प्रेषन की धनराशि का योग (क)बैंक का नाम
- (11) (ख)खाता संख्या
- (12) घर का स्थायी पता
- (13) अस्थाई पता
- (14) मोबाइल नम्बर
- (15) प्रेषनर/रोगी का हस्ताक्षर/आई का निशान
- (16) प्रमाणित किया जाता है कि इसे जनपद के कोषागार से वेतन/प्रेषन प्राप्त करतू है।

प्रमाणित 2 फोटो	प्रमाणित 2 फोटो
(एक वर्सा-एक संलग्न)	(एक वर्सा-एक संलग्न)
महीन का	महीन का
प्रमाणित 2 फोटो	प्रमाणित 2 फोटो

प्राधिकार पत्र कर्मोंक

दिनांक

उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित का संलग्न गांधी स्नातकोत्तर
 आपूर्तिज्ञान संस्थान, लखनऊ में कैशलेस उपचार का प्राक्षप।